आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर न्यायालय उपायुक्त, पलामू।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय–उपसमाहर्त्ता भू0सु0 सदर मेदिनीनगर

दा0खा0 अपील वाद–सं0–XV-11/17–18

बुधन मांझी .... अपीलार्थी

–बनाम–

गोला दुसाध .... विपक्षी

आदेश

अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी पाटन द्वारा विविध वाद सं0–1/96–97 में पारीत आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया है। उक्त वाद के द्वारा ग्राम–सगुनी थाना–पाटन के खाता न0–10 प्लॉट न0–166,167,168 कुल रकवा 0.32 एकड़ भूमि की चल रही जमाबंदी से अपीलार्थी के पिता करीमन दुसाध (मांझी) का नाम हटाया गया है। अपील अंगीकृत करते हुए विपक्षी को सूचना निर्गत की गयी तथा निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख की मांग की गयी। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख प्राप्त नही हो सका। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी ने नथु दुसाध का वंशावली हेते हुए दावा किया है कि नथु दुसाध के चार पुत्र 1. जगवर 2. नन्हकु 3. सुखलाल 4. मनु दुसाध हुए जिनमें से दो जगवर एवं

नन्हकु की नाबल्द मृत्यु हो गयी। सुखलाल के दो पुत्र 1. करीमन दुसाध 2. प्रहलाह दुसाध हुए जबकि मनु का एक पुत्र गोला दुसाध हुआ। प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी गोला दुसाध एवं करीमन दुसाध के नाम से कायम होकर मालगुजारी रसीद निर्गत होने लगी। हाल सर्वे में हिस्सा दर्शाते हुए खाता खुल चुका है। इसी बीच अंचल अधिकारी, ने विविध वाद सं0 1/96–97 से अपीलार्थी के पिता करीमन दुसाध का नाम जमाबंदी से हटा दिया है जिसके चलते प्रश्नगत भूमि की मालगुजारी मात्र गोला दुसाध के नाम से चल रही है जो अवैध है जिसे रद्द कर आधा–आधा हिस्सा के लिए मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आदेश दिया जाना अपेक्षित है।

विपक्षी ने भी दूसरी ओर वंशावली देते हुए दावा किया है कि अपीलार्थी नथु दुसाध के वंशवृक्ष का नहीं है बल्कि वह दूसरे वंश का है जो अन्य ग्राम का रहने वाला है। प्रश्नगत् भूमि में अपीलार्थी का कोई हक–हिस्सा नहीं है और न दखल–कब्जा ही है। प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी अकेले विपक्षी के नाम से चल रही है जिसमें हस्तक्षेप करने या संशोधन करने का कोई आधार नहीं है।

अपीलार्थी ने अपने दावा के समर्थन में वर्ष 1985–86 का निर्गत गोला दुसाध एवं करीमन दुसाध के नाम से मालगुजारी रसीद एवं हाल सर्वे द्वारा दोनों पक्षों के नाम

से हिस्सानुसार अंश दर्शाते हुए निर्गत खतियान की छायाप्रति एवं नेट से निकाला मालगुजारी रसीद दाखिल किया है। वर्ष 1985–86 का मालगुजारी रसीद के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गोला एवं करीमन दुसाध दोनों के नाम से निर्गत है जबकि नेट से निकाला गया मालगुजारी रसीद में अकेले गोला दुसाध का नाम है। पूर्व के मालगुजारी रसीद एवं हाल सर्वे में दोनों का नाम है जबकि बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के करीमन दुसाध का नाम हटा दिया गया और अकेले गोला दुसाध के नाम मालगुजारी रसीद निर्गत हो रही है जो न्यायोंचित नहीं है। ऐसी स्थिति में गोला दुसाध के नाम से चल रही जमाबंदी में करीमन दुसाध का नाम जोड़ने का आदेश दिया जाता है। आदेश का उद्धरण अनुपालनार्थ अंचल अधिकारी, पाटन को भेज दें।

इस निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

25/06/19

उप समाहर्त्ता, भू0सु0
सदर मेदिनीनगर।

25/06/19

उप समाहर्त्ता, भू0सु0
सदर मेदिनीनगर।